CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!
96259-93995

विधि (प्रश्न-पत्र–II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें)

दो खण्डों में कुल **आठ** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिन्दी** एवं **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।

उम्मीदवार को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर **तीन** प्रश्नों के उत्तर दें।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें।

LAW (PAPER–II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग *150* शब्दों में दीजिए। विधिक प्रावधानों व न्यायिक निर्णयों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए :

Answer the following in about *150* words each. Support your answer with legal provisions and judicial pronouncements : 10×5=50

(a) ''क्या लैटिन भाषा की सूक्ति 'एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया' सामान्यतः और एक स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप में 'मेन्स रिया' का कॉमन लॉ सिद्धान्त विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के निर्वचन में प्रासंगिक है?''

उपर्युक्त को विधिवेत्ताओं के मतों और न्यायिक निर्णयों के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

"Whether the maxim 'actus non facit reum nisi mens sit rea' in general and the Common Law doctrine of 'mens rea' as an independent doctrine in particular are relevant in the interpretation of provisions of the Indian Penal Code?" Explain the above in the light of juristic opinions and judicial pronouncements.

(b) नुकसानी की दूरस्थता से सम्बन्धित विधि के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नुकसानी की दूरस्थता के विनिश्चयन हेतु आप किस परीक्षण को वरीयता देते हैं और क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण प्रस्तुत कीजिए।

Critically examine the development of the law relating to remoteness of damages. Which test do you prefer for deciding the question of remoteness of damages and why? Give reasons for your answer.

(c) अरुणा शानबाग के मामले में दी गई स्थिर राय को और अनुकम्पा-मृत्यु के सामाजिक-विधिक, चिकित्सकीय और संवैधानिक महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या आप उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के कॉमन कॉज (एक पंजीकृत संगठन) *बनाम* भारत संघ (2018) में व्यक्त विचार को निश्चायक मानते हैं? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।

In view of the consistent opinion rendered in Aruna Shanbaug case and also considering the socio-legal, medical and constitutional significance of Euthanasia, do you consider that the view expressed by the Constitutional Bench of Supreme Court in Common Cause (A Regd. Society) *vs.* Union of India (2018) is conclusive? Comment critically.

(d) ''अपकृत्य विधि का सर्वोपरि कार्य हानियों के समंजन तथा उनकी संभावित कीमत के नियतन में महत्त्वपूर्ण विनियामक भूमिका प्रदान करना है और कल्याणकारी राज्य के अभ्युदय तक अपकृत्य विधि ही पीड़ित व्यक्ति की व्यथा का उपशमन करने का एकमात्र स्रोत था।''

उपर्युक्त कथन के आलोक में, अपकृत्य विधि की प्रकृति और विस्तार की विवेचना कीजिए और अग्र वाद-विधि की सहायता से अपने उत्तर की सम्पुष्टि कीजिए। साथ ही भारत में स्थिति का विवेचन कीजिए।

"The paramount task of the law of torts is to pay an important regulatory role in the adjustment of losses and eventuate allocation of their cost and that until the emergence of the welfare state, the law of torts provided the only source for alternating the plight of the injured."

In the light of the above statement, discuss the nature and scope of law of torts and substantiate your answer with leading case law. Also discuss the position in India.

(e) ''एक हमलावर की मृत्यु कारित करने की सीमा तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अनुमान और निराधार कल्पना पर आधारित नहीं हो सकता है। अभियुक्त को निश्चित ही वास्तविक भय के अन्तर्गत होना चाहिए, कि मृत्यु अथवा गम्भीर उपहति हमले का परिणाम होगा, यदि वह अपनी प्रतिरक्षा नहीं करेगा। आशंका की विद्यमानता को अभिनिश्चित करना सदैव एक तथ्य का प्रश्न रहता है।''

उपर्युक्त प्रतिपादन को विद्यमान विधिक उपबन्धों और न्यायिक निर्णयों के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

"Right of private defence to the extent of causing death of an assailant cannot be based on the surmises and speculation. The accused must be under a bonafide fear of death or grievous hurt would otherwise be the consequence of the assault, if he does not defend. To determine the existence of apprehension is always a question of fact."

Explain the above proposition in the light of existing legal provisions and judicial decisions.

2. (a) ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 (4) उन मामलों में लागू होगी, जहाँ अपराधी का ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु की संभाव्यता की व्यावहारिक निश्चितता के निकट होगा।''

उपर्युक्त कथन को सोदाहरण समझाइए।

"Section 300 (4) of the Indian Penal Code will be applicable in cases where the knowledge of the offender as to the probability of death of a person approximates to practical certainty."

Illustrate the above statement. 20

(b) 'सहमति के कार्य में क्षति नहीं होती' (लैटिन भाषा की सूक्ति 'वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया') की व्याख्या कीजिए। क्या जोखिम का ज्ञान तथा जोखिम उठाने की सहमति एक ही बात नहीं है? अपने उत्तर को न्यायिक प्रतिपादनों से समर्थित कीजिए।

Explain the maxim 'volenti non fit injuria'. Is the knowledge of risk not the same thing as consent to suffer the risk? Support your answer with judicial pronouncement. 15

(c) पीड़ित (V) के प्रति रेप कारित करने के सामान्य आशय से व्यक्तियों के एक समूह ने मिलकर क्रिया करने का निर्णय किया। समूह के एक से अधिक व्यक्तियों ने, सामान्य आशय के अग्रसरण में, पूर्व-नियोजित योजना के अनुसार रेप किया। समूह की एक महिला सदस्य ने समूह के कई व्यक्तियों को रेप करना सुगम बनाया।

ऐसी परिस्थिति में दायित्व का मूल तत्त्व सामान्य आशय का अस्तित्व है। समूह के निम्नलिखित सदस्यों के आपराधिक दायित्व का विनिश्चय कीजिए :

(i) जो योजना के सदस्य तो थे, पर जिन्होंने रेप में सहभाग नहीं किया था

(ii) जिन्होंने रेप किया था

(iii) अकेली महिला सदस्य, जिसने रेप को आसान करने में पूरी सुविधा दी थी

A group of persons decided to act in concert with common intention to commit rape on victim (V). More than one person from the group, in furtherance of common intention, acted in concert in the commission of rape as per pre-arranged plan. One lady member of the group facilitated the commission of such rape by many persons of the group.

The essence of liability in such situation being the existence of common intention. Decide the criminal liability of the following members of the group :

(i) Who were members of the plan but did not participate in the act

(ii) Who committed rape

(iii) The sole lady member who lend full facilities for the commission of rape 15

3. *(a)* छः व्यक्तियों ने गाँव के एक बैंक में डकैती करने का निर्णय लिया। वे बैंक-डकैती के लिए गए, लेकिन पुलिस द्वारा रोके गए। उनमें से सभी भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उनमें से एक डकैत (*X*) ने श्रीमान् *Y* को, जो उसके रास्ते में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, मार डाला। भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 391 और 396 के प्रकाश में उनमें से एक के द्वारा की गई हत्या के लिए दायित्व विनिश्चय कीजिए।

Six people decided to carry out dacoity of a bank in a village. They went to the bank to commit it, but were intercepted by police. All of them ran away. While the police was chasing them, one of the dacoits (*X*) killed Mr. *Y*, who tried to obstruct his way. Decide liability for the murder committed by one of them in view of Sections 391 and 396 of the Indian Penal Code. 15

(b) ''एक स्वामी अपने सेवक द्वारा नियोजन के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।'' इसे सामान्य रूप में और विशेष कर भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए।

"A master is liable for all acts of his servant done during the course of employment." Explain it in general and from Indian perspective in particular. 15

(c) लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माण के कार्यों की प्रगति में बाधक होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इसको भुगतना पड़ता है। लोक सेवक की दक्षता तभी बढ़ सकेगी, जब लोक सेवक अपने दायित्व की पूर्ति सत्यता और ईमानदारी से करे। अतः ऐसे मामलों में दण्ड में नरमी बरतने का कोई भी तर्क स्वीकार करना कठिन होता है (म० प्र० राज्य *बनाम* शम्भू दयाल नागर (2006) 8 SCC 693)। टिप्पणी कीजिए।

Corruption by public servants has become gigantic problem. Large-scale corruption retards the nation-building activities and everyone has to suffer on their count. The efficiency of public servant would improve only when the public servant does his duty truthfully and honestly. Therefore, in such cases, it is difficult to accept any plea of leniency in sentence (State of MP *vs.* Shambhu Dayal Nagar (2006) 8 SCC 693). Comment. 20

4. *(a)* ''भारत में अभिवाक् सौदेबाजी लघुमात्र है, क्योंकि यह केवल दण्ड के मामलों में प्रयोज्य है न कि आरोप के। समान रूप से यह न्यायालय की देख-रेख में होने वाली एक प्रक्रिया है सिवाय इसके कि इसमें एक उपखण्ड पीड़ित को प्रतिकर दिलाता है।'' भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में ऐसे उपबन्ध को धारित किए रहने का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उन सुधारों को भी सुझाइए, यदि कोई है, जिन्हें आप आवश्यक समझते हैं।

"Plea bargaining in India is the truncated one, as it is applicable to sentence only and not to the charge. Equally it is a court-monitored procedure, except that it provides a clause related to compensation to the victim." Critically analyse the retention of such provision in the Indian Criminal Justice dispensation. Also suggest reforms, if any, you understand are necessary. 15

(b) ''एम० सी० मेहता *बनाम* भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण दायित्व का नियम प्रतिपादित किया जा चुका है।'' यह कठोर दायित्व के नियम पर किस सीमा तक सुधार है? टिप्पणी कीजिए।

"Rule of absolute liability has been expounded by the apex court in M. C. Mehta's *vs.* Union of India." How far is it a reform over the rule of strict liability? Comment. 15

(c) ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-A के अन्तर्गत, एक चिकित्सक के आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि चिकित्सक के विरुद्ध की गयी शिकायत ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा की उच्च डिग्री दर्शित करे जिससे उसकी मनोदशा ज्ञात हो, जिसे रोगी के प्रति उसकी पूर्ण उदासीनता के लिए दर्शाया जा सके। ऐसी गम्भीर उपेक्षा अकेले ही दण्डनीय है।''

अद्यतन न्यायिक प्रतिपादनों के आलोक में, उपर्युक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।

"For fixing criminal liability of a doctor under Section 304-A of the Indian Penal Code, it is necessary to prove that the act complained against the doctor must show such rashness or negligence of such higher degree as to indicate mental state which can be described as totally apathetic towards patient. Such gross negligence alone is punishable."

In the light of the latest judicial pronouncement, explain the above statement. 20

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग *150* शब्दों में दीजिए। उपयुक्त विधिक उपबन्धों और निर्णीत वादों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए :

Answer the following in about *150* words each. Support your answer with relevant legal provisions and decided cases : 10×5=50

(a) यदि कतिपय वस्तुओं (सामानों) को या तो शो विन्डो या दुकान के भीतर प्रदर्शित किया जाए और उन वस्तुओं के साथ कीमत चिप्पियाँ भी हों, तो विवेचना कीजिए कि क्या यह प्रदर्शन बेचने की पेशकश है। निर्णीत वादों की सहायता से पेशकश और पेशकश का आमन्त्रण के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए।

If certain goods are displayed either in a show window or inside the shop and such goods bear price tags, discuss whether such display amounts to an offer to sell. Explain the distinction between offer and invitation to offer with the help of decided cases.

(b) अनुचित प्रभाव के आधार पर एक संविदा के परिहार करने के कार्य में वादी को दो बिन्दुओं को सिद्ध करना होता है। उन बिन्दुओं और विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों, जो अनुचित प्रभाव की उपधारणा की ओर ले जाते हैं जिससे स्वतन्त्र सहमति दूषित होती है, की व्याख्या कीजिए।

In an action to avoid a contract on the ground of undue influence, the plaintiff has to prove two points. Explain those points and different kinds of relations leading to presumption of undue influence which vitiates free consent.

(c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28 विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करारों को शून्य बनाती है। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं? सुसंगत प्रावधानों और निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

Section 28 of the Indian Contract Act, 1872 makes agreements in restraint of legal proceedings void. Are there any exceptions to this rule? Discuss with the help of relevant provisions and decided cases.

(d) भारत में लोकहित मुकदमेबाज़ी (पी० आइ० एल०) कुछ समय से न केवल जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था और जो कमजोर थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त की गई है बल्कि अन्यों के हितों को भी आगे बढ़ाने के लिए की गई है। भारत में लोकहित मुकदमेबाज़ी की प्रयोज्यता, उपयोग और दुरुपयोग के सम्बन्ध में नवीन प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए।

Public Interest Litigation (PIL) in India, of late, has been used not only to represent the unrepresented and weak but also to advance the interest of others. Comment on the recent trends relating to the application, use and misuse of PIL in India.

(e) प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों (टी० पी० एम०) के प्रस्तुतीकरण और मान्यता के बावजूद, अंकीय कॉपीराइट निरन्तर असुरक्षित और बिना गारण्टी के बना हुआ है। भारत में अंकीय कॉपीराइट के संरक्षण पर कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के 2012 के संशोधनों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

In spite of introduction and recognition of Technological Protection Measures (TPMs), the digital copyright continues to be unsafe and unsecured. Explain the impact of the 2012 Amendments to the Copyright Act, 1957 on the protection of digital copyright in India.

6. (a) "यह भली प्रकार सुस्थापित है कि यदि और जब नैराश्य होगा, संविदा स्वतः भंग हो जाएगी ...। यह दोनों में से किसी पक्षकार की पसंद या चयन पर निर्भर नहीं करता है। यह संविदा के पालन की संभावना के वस्तुतः घटित होने के प्रभाव पर निर्भर करता है।" संविदा के नैराश्य के प्रभावों की विवेचना कीजिए।

"It is well-settled that if and when there is frustration, the dissolution of the contract occurs automatically ... . It does not depend on the choice or election of either party. It depends on the effect of what has actually happened on the possibility of performing the contract." Discuss the effects of frustration of contract. 20

(b) "यदि कोई व्यक्ति मिथ्या व्यपदेशन करता है कि वह किसी अन्य का एजेंट है, मालिक ऐसे कार्य का अनुसमर्थन कर सकेगा यद्यपि कि वह कार्य बिना उसके प्राधिकार के किया गया था।"

उपर्युक्त कथन के आलोक में, विधिमान्य अनुसमर्थन के आवश्यक तत्त्वों और उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

"If a person falsely represents that he is an agent of another, the principal may ratify the act even though the same was done without his authority."

Discuss, in the light of the above statement, the essentials of valid ratification and its effect. 15

(c) 'संपोषणीय विकास' पारिस्थितिकी और विकास के मध्य एक संतुलनकारी संकल्पना के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनों के तहत इस सिद्धान्त की मान्यता और अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए।

'Sustainable development' has been accepted as a balancing concept between ecology and development. Discuss the recognition and application of this principle under the laws relating to environmental protection in India. 15

7. (a) यदि सरकार की गुप्तचर एजेंसी का एक अधिकारी गुप्त सूचनाएँ देने के लिए प्रतिफल के रूप में एक करार के आधार पर एक चेक प्राप्त करता है, तो क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत ऐसे चेक को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है? अधिनियम की धाराओं 138 और 139 के अधीन चेककर्ता (आदेशक) के विधितः प्रवर्तनीय दायित्व के क्षेत्र-विस्तार की विवेचना कीजिए।

If an officer with an intelligence agency of the Government receives a cheque for consideration on the basis of an agreement to pass on intelligence inputs, can such cheque be enforceable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881? Discuss the scope of the legally enforceable liability of the drawer under Sections 138 and 139 of the Act. 20

(b) "ई-गवर्नेंस शासन के एक ऐसे नये स्वरूप को प्रकट करती है जिसके लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ कदम मिलाकर चलने वाली गत्यात्मक विधियों की आवश्यकता होती है।" भारत में प्रभावी ई-गवर्नेंस को सुनिश्चित करने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की उपयुक्तता पर टिप्पणी कीजिए।

"E-governance represents a new form of governance which needs dynamic laws, keeping pace with the technological advancement." Comment on the adequacy of the Information Technology Act, 2000 in ensuring effective E-governance in India. 15

(c) यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत सिविल विवादों के न्यायालय से बाहर निपटारे की व्यवस्था देती है, तथापि वैकल्पिक विवाद समाधान (ए० डी० आर०) के माध्यम से ऐसे निपटारे का प्रभाव अति कमजोर प्रतीत होता है। ए० डी० आर० पद्धतियों के माध्यम से विवादों के समाधान की असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए।

Even though Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 provides for out of court settlement of civil disputes filed in a civil court, the impact of such settlement through Alternative Dispute Resolution (ADR) appears to be poor. Analyse the reasons for failure to settle the disputes through ADR modes. 15

8. (a) मानक रूप संविदा के कमजोर पक्षकार का बचाव करने में न्यायालयों ने बड़ी कठिनाई पाई है, और इसलिए ऐसी संविदाओं में अन्तर्निहित शोषण की संभावना के विरुद्ध ऐसे कमजोर पक्षकार के हित की संरक्षा के लिए न्यायालयों ने कुछ तरीके विकसित किए हैं। मानक रूप संविदा में कमजोर पक्षकार को उपलब्ध संरक्षण के तरीकों को स्पष्ट कीजिए।

The courts have found it very difficult to come to the rescue of the weaker party to a standard form contract, and thus evolved certain modes to protect such weaker party against the possibility of exploitation inherent in such contracts. Explain the modes of protection available to weaker party in a standard form contract. 20

(b) आपराधिक मामलों में मीडिया द्वारा विचारण, कुछ मामलों में न्यायालय का अवमान होने के अलावा, स्वतन्त्र और निष्पक्ष विचारण की संकल्पना का तिरस्कार प्रतीत होता है। मीडिया द्वारा विचार का मोटे तौर पर आपराधिक न्याय के प्रशासन पर और विशेष कर स्टेकहोल्डरों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

Trial by media appears to be an affront to the concept of free and fair trial in criminal cases, apart from being a kind of contempt of court in certain cases. Analyse the impact of trial by media on the administration of criminal justice in general and on the stakeholders in particular. 15

(c) ''राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि वास्तविक स्वतन्त्रता का अभिप्राय कुछ के द्वारा सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि उसका अभिप्राय ऐसी सत्ता के दुरुपयोग पर प्रश्न चिह्न लगाने की क्षमता को प्राप्त करना है।''

उपर्युक्त कथन के आलोक में, लोक प्राधिकारियों के दायित्वों का परीक्षण कीजिए और व्याख्या कीजिए कि क्या पिछले लगभग सात दशकों के दौरान उन्होंने इसका प्रभावशाली रूप से अनुपालन किया है।

"Mahatma Gandhi, the Father of Nation, observed that the meaning of real freedom is not to acquire authority by few but to acquire the capacity to question the abuse of such authority."

Examine, in the light of the above statement, the obligations of the public authorities and explain whether they have discharged it effectively during the last about seven decades. 15

★ ★ ★